वी०एम०मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 23 जनवरी

विषयः पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) (90 प्रतिशत के योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4383/नि०–5/एक(4)/एस्कैड/2017–18 29 नवम्बर, 2017के सन्दर्भ में पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता 90 केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत अनुदान सं० 28 में अवमुक्त केन्द्रांश ₹40.0 लाख के सापेक्ष 10 राज्यांश ₹4.44 लाख तथा अनुदान सं० 30 में अवमुक्त केन्द्रांश ₹10.00 लाख के स प्रतिशत राज्यांश ₹1.11 लाख कुल राज्यांश ₹ 5.55 लाख (₹ पांच लाख पचपन हजार धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदिष्ट किये राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपल सुनिश्चित करेंगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभाग सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगता अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वी रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इ भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंज

महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान की प्रतिलिपि वि
अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किय

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रक अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यव

(10) अनुदान सं० 30 में धनराशि का व्यय अनुसूचित जाति के लाभार्थ ही किया ज धनराशि व्यय करने के उपरान्त कराये गये कार्यों का विवरण/सूची अ जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य– 01– के पुरोनिधानित योजनायें–0106–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता 42–अन्य अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–101–पशुचिकित्सा सेवायें त स्वास्थ्य– 01– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0106–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु रा सहायता 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 139/XXVII-4/2017 दिनांक 11 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(वी०एम०मिश्र)
अपर सचिव

संख्या: 73 (1) / XV-1/2018 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2.आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5.समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6.वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7.राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8.बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9.निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10.मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,